कार्यालय– नगर पालिका परिषद भदोही, जनपद–भदोही

पत्रांक 138 / न0पा0परि0भ0 / 2023–24 दिनांक 14.07.23

अल्पकालीन निविदा सूचना

नगर पालिका परिषद भदोही में "**बोर्ड फण्ड मद** के अन्तर्गत स्वीकृत निम्नानुसार कार्य हेतु स्वायत्त निकाय/पब्लिक सेक्टर विभाग/राज्य सरकार/केन्द्र सरकार/अन्य सरकारी विभाग में निर्धारित श्रेणी में कार्य की लागत के सीमा के अनुरूप पंजीकृत निविदादाताओं से मैन्यूवल विधि के माध्यम से प्रतिशत दर के आधार पर नीचे दर्शाये गये कार्य हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदादाता किसी एक कार्य अथवा सभी कार्यो के लिए निविदा दे सकता हैं। सीलबंद निविदा दिनांक 21/7/2023 से दिनांक 22/7/2023 तक कलेक्ट्रेट मुख्यालय भदोही में निविदा बाक्स में डाली जायेगी जिसे दिनांक 24/7/2023 पूर्वाह्न 11:00 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष, सक्षम अधिकारी द्वारा कलेक्ट्रेट में खोली जायेगी। निविदा प्रपत्र किसी भी कार्य दिवस में दिनांक 22/7/2023 तक निर्धारित मूल्य जमाकर निविदा फार्म प्राप्त कर सकते है। निविदा के सम्बन्ध में विस्तृत शर्ते एवं जानकारी नगर पालिका के वेबसाइट nppbhadohi.co.in तथा NIC के वेबसाइट एवं कार्यालय दिवस में सम्बन्धित पटल से प्राप्त की जा सकती है।

क0 स0	कार्य/सामग्री का नाम	अनुमानित धनराशि (लाख में) GST सहित	धरोहर धनराशि 10 प्रतिशत (लाख में)	निविदा शुल्क GST सहित	कार्यावधि
बोर्ड फण्ड मद –					
01	लिप्पन तिराहा से मर्यादपट्टी धौरहरा मुख्य मार्ग के पूर्वी तरफ स्थित विभिन्न वार्डो के विभिन्न गलीयो के चैम्बर व इण्टरलाकिंग सड़क निर्माण कार्य।	8.75	0.88	1180.00	07 दिन
02	रेलवे लाइन से एकमा के सामने मुख्य मार्ग के पश्चिमी तरफ विभिन्न वार्डो के विभिन्न गलीयो के चैम्बर व इण्टरलाकिंग सड़क मरम्मत कार्य।	8.67	0.87	1180.00	07 दिन
03	वार्ड नं0 01 कुशियरा, वार्ड नं0 04 पकरी, वार्ड नं011 हरीयाव, वार्ड नं0 13 बाजार सरदार खां, वार्ड नं0 20 जलालपुर दक्षिणी, वार्ड नं0 08 रामरायपुर के विभिन्न गलीयो के चैम्बर व इण्टरलाकिंग सड़क मरम्मत कार्य।	8.97	0.90	1180.00	07 दिन
04	नगर पालिका से धौरहरा तक मुख्य मार्ग के पूर्वी तरफ विभिन्न वार्डो के गडडो मे अध्धा एवं राबिस भरने का कार्य।	8.77	0.88	1180.00	07 दिन
05	रेलवे लाइन से एकमा के सामने मुख्य मार्ग के पश्चिमी तरफ विभिन्न वार्डो के विभिन्न गडडो मे अध्धा एवं राबिस भरने का कार्य।	8.44	0.84	1180.00	07 दिन
06	वार्ड नं0 01 कुशियरा, वार्ड नं0 04 पकरी, वार्ड नं0 11 हरीयाव, वार्ड नं0 13 बाजार सरदार खां, वार्ड नं0 20 जलालपुर दक्षिणी, वार्ड नं0 08 रामरायपुर के विभिन्न गडडो मे अध्धा एवं राबिस भरने का कार्य।	9.09	1.00	1180.00	07 दिन
07	नगर पालिका परिषद भदोही सीमान्तर्गत मोहर्रम ताजिया जुलूस के पर्व पर विभिन्न मार्गो पर किराये पर अस्थाई कैम्प व्यवस्था एवं जनरेटर द्वारा प्रकाश व्यवस्था इत्यादि का कार्य।	4.00	0.40	1180.00	07 दिन

निविदा हेतु शर्तेः–

1. सर्शत निविदा मान्य नही होगी और स्वतः निरस्त समझी जायेगी।
2. निविदा की विक्रय कलेक्ट्रेट सरपतहा मुख्यालय में की जायेगी।
3. उपरोक्त कार्यो की निविदा बाक्स पेटी कलेक्ट्रेट मुख्यालय पर रखी जायेगी एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा खोले जाने की कार्यवाही की जायेगी।
4. प्रत्येक निविदा के साथ 10 प्रतिशत धरोहर धनराशि एफडीआर/एन0एस0सी0/ट्रेजरी चलान के रूप में मूल प्रति निकाय में जमा करना अनिवार्य होगा तभी कार्यादेश निर्गत किया जायेगा।
5. बिना जमानत धनराशि के किसी भी निविदा पर विचार नही किया जायेगा।
6. प्रत्येक निविदा के साथ जी0एस0टी0 पंजीकरण व आयकर पंजीकरण की स्व0 प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना होगा।
7. निदेशक स्थानीय निकाय उ0प्र0 लखनऊ के पत्र सं0 तक0सेल/07/निदे0/2019 दिनांक 28 जून 2019 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
8. कार्य की मात्रा आवश्यकतानुसार घटाई बढ़ाई जा सकती है तदनुसार ठेकेदार को भुगतान किया जायेगा।
9. शासनादेश की परिधि में सम्बन्धित कार्यालयों में निविदा प्रपत्रों की बिक्री नियत तिथि तक की जायेगी तथा तदनुसार निविदा बाक्स में डाली जायेगी।
10. निर्धारित तिथि व समय के उपरान्त कोई निविदा सबमिशन हेतु स्वीकार्य नही किये जायेगें। निर्धारित समय के उपरान्त प्राप्त होने वाली निविदा पर कोई विचार नही किया जायेगा।
11. निविदा स्वीकृति के पूर्व ठेकेदार को शासनादेश सं0 11593/नौ0–5–2021–142सा/2021 नगर विकास अनुभाग–5 लखनऊ दिनांक 07 जनवरी, 2022 के क्रम में ठेकेदार द्वारा प्राप्त निविदा की लागत कार्य हेतु अनुमानित लागत से 10 प्रतिशत तक कम प्राप्त हुई हो उनपर प्रफार्मेन्स सिक्योरिटी 03 प्रतिशत तथा 10 प्रतिशत के नीचे प्राप्त हुई हो तो उस दशा में प्रथम 10 प्रतिशत के लिए सिक्योरिटी 03 प्रतिशत ही रहेगी। परन्तु उसके पश्चात

प्रत्येक 1.00 प्रतिशत नीचे दर हेतु 0.5 प्रतिशत अतिरिक्त प्रफार्मेन्स सिक्योरिटी जमा करना होगा उक्त जमानत धनराशि अनुबन्ध के साथ जमा करने की बाध्यता होगी।

12. शासनादेशानुसार न्यूनतम निविदादाता को पालिका में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।

13. प्रत्येक निविदादाताओ को निम्नलिखित शपथ पत्र को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा–

(क) 100/– रू0 के एकल न्यायिक स्टॅाम पेपर पर प्रारूप टी–6।

(ख) 10/– रू0 के एकल गैर– न्यायिक स्टॅाम पेपर पर निविदादाता का न तो कोई अपराधिक रिकार्ड है और न ही किसी गैर सरकारी संस्था में पंजीकृत है।

(ग) निविदा के साथ जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्गत टी–4 चरित्र प्रमाण पत्र एवं टी–5 साल्वेंसी का स्व–प्रमाणित प्रति।

(घ) निविदादाता का स्वायत्त निकाय/सार्वजनिक क्षेत्र विभाग/राज्य सरकार/केन्द्र सरकार या उपयुक्त वर्ग में कोई भी सरकारी विभाग का वैध पंजिकरण प्रमाण पत्र का स्व–प्रमाणित प्रति।

(ड) निविदादाता का अधिकृत पता, ई–मेल आईडी, मोबाइल नं0, सम्पर्क पता उसके लेटर पैड पर विधिवत हस्ताक्षर किया हुआ प्रति।

14. शासन द्वारा धन उपलब्धता के आधार पर भुगतान किया जायेगा।

15. निविदादाता को कार्यादेश प्राप्त होने कि तिथि से एक सप्ताह के भीतर श्रम विभाग में अपना श्रम पंजीकृत करना अनिवार्य होगा।

16. उत्तर प्रदेश खनन विभाग द्वारा समय पर संशोधित 3333/86–2015/292/2015 दिनांक 15.10.2016 जारी रॅायल्टी कटौती के लिए लागू किया जायेगा।

17. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एन0जी0टी0) द्वारा जारी कोई भी परिपत्र या निर्देश ठेकेदार पर लागू होगा।

18. कार्यादेश जारी होने के बाद कार्यस्थल पर कार्य करने वाले सभी मजदूरो का श्रम विभाग में पंजीकृत कराकर नगर पालिका में सूची प्रस्तुत करना होगा।

19. किसी भी बार काउन्सिल में पंजीकृत होने वाले किसी भी निविदादाता को निविदा प्रकिया में भाग लेने कि अनुमति नही है।

20. सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी निविदा को अस्वीकृत करने तथा निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

21. शासन/निदेशालय द्वारा दिये गये सभी निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

22. शासन द्वारा निर्धारित मानक एवं विशिष्टियों के अनुसार कार्य गुणवत्ता पूर्वक करना होगा, जिसका सत्यापन जिलाधिकारी महोदय द्वारा गठित समिति से कराने पर कार्य संतोष जनक होने पर ही भुगतान किया जायेगा।

23. ठेकेदार आपदा संबंधित प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों का विधिवत पालन करेगा तथा कोविड–19 या किसी अन्य आपदा/महामारी के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी किए दिशानिर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

24. निदेशक महोदय स्थानीय निकाय द्वारा जारी किये गये शासनादेश सं0 TC/314/8/DLP/2020 दिनांक 01.01.2021 का नियम एवं शर्ते निविदादाता द्वारा अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा, जो निविदा पत्र के साथ दिया जायेगा।

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद,भदोही

अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद,भदोही

पत्रांक .... दिनांक 14.07.23

प्रतिलिपिः–1. विज्ञापन व्यवस्थापक दैनिक समाचार पत्र " अमर उजाला " एवं " राष्ट्रीय सहारा " को इस आशय से प्रेषित है कि कृपया उपरोक्त विज्ञापन का प्रकाशन अपने समाचार पत्र में एक दिन के अंक में न्यूनतम सम्भावित कालम एवं छोटे अक्षरों में प्रकाशित करते हुये भुगतान हेतु बिल प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

2. जिला सूचना विज्ञान केन्द्र भदोही को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया उपरोक्त "मैनूवल निविदा" को एन0आई0सी0 के वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, भदोही

14-07-23
अमर उजाला
भदोही

14/07/23
राष्ट्रीय सहारा
भदोही